न्यायालयः राजेश कुमार–चतुर्थ

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–373 / 2026

पिपरा थाना कांड सं0–426 / 2025

20/05/2026

1. दशरथ पासवान पे0 स्व0 जगत पासवान
2. दौलती देवी पति दशरथ पासवान
3. ललटु कुमार उर्फ ललटु पासवान पे0 दशरथ पासवान
सभी सा0 जीवछपुर वार्ड नं0 04 थाना पिपरा जिला सुपौल.....आवेदकगण

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

आवेदक अभियुक्तगण **1. दशरथ पासवान 2. दौलती देवी** एवं **3. ललटु कुमार उर्फ ललटु पासवान** की ओर से पिपरा थाना कांड सं0–426 / 2025 में अपनी गिरफ्तारी की आशंका दिखाते हुए दिनांक 02.03.2026 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को आज प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विमलेश कुमार ने निवेदन किया है कि आवेदक अभियुक्तगण बिल्कुल निदोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इससे पूर्व कोई भी अग्रिम जमानत आवेदन न तो श्रीमान् के न्यायालय में अथवा न हीं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदकगण के खिलाफ धारा–137(2) एवं 87 भा0न्या0सं0 का कोई आरोप नहीं बनता है। प्रार्थीगण के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप बनावटी, झूठा मनगढन्त वो निराधार है। आवेदकगण के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने को तैयार हैं। अतः आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री महेन्द्र प्रसाद साह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है।

प्रस्तुत वाद के सूचक बसंत कुमार विश्वास के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–137(2),87,351(2),3(5) भा0 न्या0 सं0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.12.2025 दिन मंगलवार संध्या 07 बजे में सूचक की पुत्री (पीड़िता) उम्र–16 वर्ष जो दुवियाही पंचायत अन्तर्गत बेलदारा चौक पर हाट से सब्जी लेकर घर आ रही थी साथ में सूचक की पत्नी भी थी, जो रास्ते में घर के बगल जैसी ही पहुँची थी पहले से घात लगाये दो मोटरसाइकिल पर जबरन बैठाकर ललटू पासवान, बादल पासवान एवं विमल पासवान एवं अन्य एक बदमाश, जिसे सूचक की पत्नी पहचान नहीं सकी, पश्चिम की ओर ललटू पासवान लेके भाग गया। ललटू पासवान को उसकी पत्नी पहचानती थी जो उसके गॉव के हरिओम कुमार के घर पर बराबर आता जाता था, उसे दोस्ती था, साजिश करता था। शंका के आधार पर जब वह जीवछपुर जाकर खोज–बीन किया तो उसकी लड़की ललटू पासवान के घर पर पता चला है। तब वह अपने नावालिग लड़की को वापस करने का गॉव समाज में बड़े बुर्जुगों द्वारा पंचायत भी किया, लेकिन लड़की वापस करने से इन्कार कर चला गया तब ललटू पासवान की माता दोलती देवी, पति दशरथ पासवान, पिता जगत पासवान एवं अन्य सदस्यगण धमकी देने लगा। तुम्हारे पुत्री को विवाह कर रखने के लिए अपहरण कर लाया हूँ। वे लोग लड़की वापस नहीं करेंगे। वर्तमान में उसे पूर्ण शंका बना है कि उसकी पुत्री को वही बेच न दे या जान से मारकर लापता न कर दे, जिस शंका पर मैं यह आवेदन खोज–बीन के कारण बिलम्ब से आवेदन दाखिल कर रहा हूँ। उसकी पुत्री इन्टर में पढ़ती है, जो प्रथम सत्र की छात्रा है।

उभय पक्ष को सुना व अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी आवेदक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा–137(2),87,351(2),3(5) भा0 न्या0 सं0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध सूचक की नाबालिग बेटी का मिलकर अपहरण करने का आरोप है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–02 में वादी ने पुनर्ब्यान में, कंडिका–03 में अपहृता की मॉ ने, कंडिका–20 में साक्षी सतीश विश्वास ने, कंडिका–21 में साक्षी रविन्द्र कुमार अभियोजन मामले का समर्थन किया है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–07 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अंक प्रमाण पत्र अंकित है, जिसके अनुसार अपहृता का जन्म तिथि 08.05.2008 है, जिससे प्रतीत होता है कि अपहृता घटना के समय अवयस्क थी। काण्ड दैनिकी के कंडिका–39 में अपहृता का धारा–180

लगातार

न्यायालयः राजेश कुमार–चतुर्थ

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्टम् सह विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो, सुपौल

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–373 / 2026

पिपरा थाना कांड सं0–426 / 2025

लगातार 20/05/26	बी0एन0एस0एस0 के तहत दर्ज बयान अंकित है, जिसमें पीड़िता ने बयान दिया है कि, मैं ललटू कुमार से विगत तीन वर्षों से प्रेम करती आ रही हूँ। मेरे परिवार वाले मेरी शादी किसी दूसरे के साथ करने की बात कर रहे थे। जिसके बाद दिनांक 17.12.2025 को मैं ललटू के घर पहुँच गयी और दिनांक 18.12.2025 को हम दोनों शादी कर लिये और कुनौली चले गये। काण्ड दैनिकी के कंडिका–45 के अनुसार अपहृता के द्वारा चिकित्सकीय जॉच नहीं कराने की बात अंकित है। काण्ड दैनिकी के कंडिका–46 में अपहृता का धारा–183 बी0एन0एस0एस0 के तहत दर्ज बयान अंकित है, जिसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अपहृता ने बयान दिया है कि मैं ललटू पासवान से प्रेम करती हूँ। मैं ललटू से दिनांक 18.12.2025 को भागकर मंदिर में शादी कर लिये। मेरा कोई अपहरण नहीं किया है। कंडिका–68 के अनुसार काण्ड का अनुसंधान जारी है। प्राथमिकी, काण्ड दैनिकी में दर्ज गवाहों एवं अपहृता का बयान आवेदक सं0–03 ललटू कुमार उर्फ ललटू पासवान के द्वारा सूचक की नाबालिग पुत्री का बलपूर्वक अपहरण करने की बात का समर्थन करता है। प्राथमिकी एवं काण्ड दैनिकी में दर्ज गवाहों का बयान आवेदक सं0–1 और 2 के विरुद्ध केवल सूचक वगैरह को धमकी देने की बात का समर्थन करता है। धारा–180 एवं 183 बी0एन0एस0एस0 के तहत दर्ज बयान में अपहृता ने आवेदक सं0–01 और 02 का काण्ड में संलिप्तता की बात का समर्थन नहीं किया है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त तथ्यों एवं वाद की परिस्थितियों तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आवेदक संख्या–03 ललटू कुमार उर्फ ललटू पासवान को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदक संख्या–03 **ललटु कुमार उर्फ ललटु पासवान** का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। आवेदक संख्या–01 और आवेदक संख्या–02 दौलती देवी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्तगण **1. दशरथ पासवान 2. दौलती देवी** का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है तथा आवेदक संख्या–02 एवं 03 को इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर आत्मसमर्पण करने अथवा गिरफ्तारी होने की दशा में आवेदकगण को विद्वान श्री भवेश कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सुपौल के संतोषोपरांत मो0–10,000 / –राशि के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं को दाखिल करने पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अधीन मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित (राजेश कुमार–चतुर्थ) जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, षष्टम् सह विशेष सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो सुपौल	

Date of Order	**20-05-2026**
Date of Reserving Order	**20-05-2026**
Uploading Date	**21 -05-2026**
Uploaded by	**RAJEEV KUMAR**